

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 127
12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण

*127. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई नीति लागू की है;
- (ख) यदि हां, तो यात्री वाहन श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण हेतु घरेलू और वैश्विक दोनों उद्योगों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में लगे कार्यबल को कुछ नई कुशलता सिखाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग मंत्री
(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ङ) : विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण” के संबंध में लोकसभा में 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत श्रीमती साजदा अहमद के तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : जी, हां। सरकार ने उन्नत मोटरवाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया है। उन्नत मोटरवाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए पीएलआई में वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में लागत अधिकता पर काबू पाना, बड़े पैमाने की किफायती अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल हैं।

(ख) : सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) से प्राप्त सूचनानुसार, यात्री वाहन श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का वर्ष-वार (वित्तीय वर्ष) ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	उत्पादन (संख्या में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	अप्रैल-सितंबर-23
यात्री वाहन					
इलेक्ट्रिक	3,304	5,825	22,355	62,279	49,752

(ग) और (घ): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए घरेलू और वैश्विक-- दोनों उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सरकार ने 2015 में भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम शुरू की और वर्तमान में, अप्रैल 01, से पांच वर्ष की अवधि के लिए 2019 फेम इंडिया स्कीम का चरण-II कुल 10,करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 000 कार्यान्वित किया जा रहा है। फेम-II के इस चरण में सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों

और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। स्कीम का विवरण <https://fame2.heavyindustries.gov.in> पर है।

(ii) सरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण' के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी। इस स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी उन्नत रसायन सेल बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का विवरण <https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-for-national-programme-on-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage> पर है।

(iii) ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 15 सितंबर, 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। स्कीम का विवरण <https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry> पर है।

(iv): इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

(v): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ड) : पूंजीगत वस्तु स्कीम, चरण-II के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) के माध्यम से एएसडीसी के 23 कौशल प्रशिक्षण पैकेज (अर्हता पैक) विकसित किये हैं।

क्र.सं.	कार्य भूमिका
1.	मोटरवाहन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्रबंधन अभियंता
2.	इलेक्ट्रिक वाहन बीएसएस आयोजक अभियंता
3.	मोटरवाहन फ्लेक्स ईंधन डिजाइन अभियंता

इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित रोजगार में 4146 पेशवरों को प्रशिक्षित किया है।
